संख्या 4326/1–10–2011–33(221)/2011

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक :08 दिसम्बर, 2011

विषय वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कियान्वित करने एवं प्रचार–प्रसार करने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, कियान्वित करने तथा प्रचार– प्रसार हेतु रूपये 10,00,000/–(रूपये दस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित सूचनाऍ अनसाधारण को उपलब्ध कराये जाने हेतु जन उपयोगी Hoardings ऐसे स्थानों पर लगाई जायें जहॉ अधिक लोगों को इनकी जानकारी हो सके। इस हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि का 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के अन्दर ही विहित किया जाय।

5. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाय।

6– उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

(2)

7— व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :4326 (1)/1—10—2011—33(221)/2011 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2—मण्डलायुक्त, लखनऊ।

3—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

4—वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त को तीन प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को उलपब्ध कराने का कष्ट करें।

5—मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5 ।

7—समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

8—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

237 Awantan Yadav Ji